(171)

5 COURT FEE 5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

विलोपित

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्रं. /06 पुनर्विलोकन

R02-726/III/06

श्रीमती सरस्वती देवी पत्नी बृजेन्द्र प्रसाद
निवासी ग्राम खरहरी, तहसील रायपुर
कर्चुलियान, जिला रीवा (म.प्र.)

.... आवेदक

विरूद्ध

1. लालबहादुर पुत्र रघुनाथ प्रसाद
निवासी ग्राम खरहरी, तह. रायपुर कर्चु.
2. रामसंजीवन पुत्र रामसेवक
3. चन्द्रशेखर पुत्र रामसेवक
4. रामनिरंजन पुत्र रामसेवक
नि.गण ग्राम कुआमन, तह. रायपुर कर्चु.
5. रामजी पुत्र स्व. वीरभद्र
6. हीरालाल पुत्र स्व. वीरभद्र
7. रामलाल पुत्र स्व. वीरभद्र
8. देवपती पत्नी स्व. वीरभद्र
9. छोटेलाल पुत्र रघुनाथ
10. रामगोपाल पुत्र स्व. सियाचरण
11. बंशगोपाल पुत्र सियाचरण
सभी निवासीगण ग्राम खरहरी तह. रायपुर
कर्चुलियान जिला रीवा (म.प्र.)

..अनावेदकगण

श्री मुकेश भार्गव ... द्वारा आज दि० 18/4/06 को प्रस्तुत।
18/4/06
सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

वारिसान
1 चंद्रवती उर्फ पार्वती देवी बेवा लालबहादुर
11 संतोषकुमार पुत्र स्व० लालबहादुर
111 अरुणादेवी पुत्री स्व० लालबहादुर
निवासीगण ग्राम खरहरी तह० रायपुर कर्चुलियान जि० रीवा
माननीय न्याया. के आदेश पत्रिका दि. 6-2-07 के पालन में संशोधन किया
6.2.07

मुकेश भार्गव एडवोकेट
18-4-06 ग्वालियर

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर द्वारा निगरानी प्रकरण क्रमांक 491-II/06 में पारित आदेश दिनांक 23.3.06 के विरूद्ध म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के अंतर्गत पुनर्विलोकन आवेदन ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 726–दो/2006 जिला –रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
२६–08–2016	आवेदक के अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव उपस्थित । अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित। प्रकरण में आवेदक के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये । 2/ प्रकरण कायमी एवं स्थंगन की बिन्दु पर सुना गया। न्यायालय राजस्व मण्डल के द्वारा पारित आदेश, दिनांक 23.03.2006 में उल्लेखित है कि अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 04.03.06 में यह निष्कर्ष निकाला है कि विवादित आराजी 518 रकबा 0.71 डि0 के 1/2 भाग के भूमिस्वामी रामसजीवन, रामनिरंजन व चन्द्रशेखर थे तथा 1/2 के भूमिस्वामी वीरभद्र, छोटेलाल और सियाशरण थे। ग्राम पंचायत में उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया। इश्तहार का प्रकाशन किस दिनांक को किया गया, यह भी स्पष्ट नहीं है । रामनिरंजन व चन्द्रशेखर का निशानी अंगूठा लगा है लेकिन अन्य पक्षकरों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है । सह–खातेदारों को विधिवत सूचना जारी नहीं है । संहिता की धारा 110 की उपधारा (3) में यह प्रावधान है कि उपधारा(2) के अधीन पटवारी से प्रज्ञापना प्राप्त होने	

पर, तहसीलदार उसे विहित रीति में ग्राम में प्रकाशित करवाएगा और उसकी लिखित प्रज्ञापना उन समस्त व्यक्तियों को, जो कि उसे नामांतरण में हितबद्ध प्रतीत होते हों, तथा साथ ही ऐसे अन्य व्यक्तियों एवं प्राधिकारियों को भी देगा जो कि विहित किये जाये । इस प्रकरण में सह खातेदारों का न तो सूचनापत्र दिये गये और न ही विधिवत इश्तहार का प्रकाशन ही किया गया । नामांतरण नियमों के नियम 27 में भी संबंधित ग्राम में डोंडी पिटवाकर इश्तहार का प्रकाशन कराने तथा उन सभी हितबद्ध व्यक्तियों को उसकी लिखित सूचना दिये जाने का प्रावधान है, जिसका पालन ग्राम पंचायत द्वारा नामांतरण आदेश पारित करने के पूर्व नहीं किये जाने से अनुविभागीय द्वारा पारित आदेश निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार को प्रत्यावर्तित करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है, जिसे अपर आयुक्त द्वारा स्थिर रखा गया है ।

3/ मेरे द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । उक्त दस्तावेजों के अवलोकन से प्रकट होता है कि आवेदिका द्वारा पंजीयत विक्रयपत्र द्वारा अनावेदक क्र0 2 से 4 से क्रय की गई थी, जिस पर अनावेदक क्र0 1 लालबहादुर(मृत) को आपत्ति करने का अधिकार नहीं थी, किन्तु अपीलीय न्यायालयों द्वारा उसकी आपत्ति के आधार पर नामांतरण आदेश निरस्त किया है । परन्तु न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा इन

कानूनी बिन्दुओं पर ध्यान नहीं दिया गया । आवेदिका के अधिवक्ता का तर्क था कि निगरानी ग्राहय की जाये । स्थंगन आवेदक के संबंध में उनका तर्क था कि विवादित भूमि पर आवेदिका की फसल खड़ी है, इसलिये उसके पक्ष में स्थंगन का आदेश दिया जाये, यदि ऐसा नहीं किया गया तो आवेदिका को अपूर्तनीय क्षति होगी। न्यायालय अपर आयुक्त के द्वारा पारित आलोच्य आदेश का अवलोकन करने में विदित होता है कि अपर आयुक्त ने विवादित आराजी 518 रकबा 0.71 डि0 के 1/2 भाग के भूमिस्वामी राजसजीवन, रामचिरंजन व चन्द्रशेखर थे तथा 1/2 के भूमिस्वामी वीरभद्र, छोटेलाल और सियाशरण थे। ग्राम पंचायत में उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया । इश्तहार का प्रकाशन किस दिनांक में किया गया, यह भी स्पष्ट नहीं है । उक्त प्रकरण में अन्य पक्षकारों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है । सह–खातेदारों को विधिवत सूचना दी जाती है । संहिता की धारा 110 की उपधारा 3 में यह प्रावधान है कि उपधारा 2 के अधीन पटवारी से प्रज्ञापना प्राप्त होने पर तहसीलदार उसे विहित रीति में ग्राम में प्रकाशित करवायेगा और उसकी लिखित प्रज्ञापना उन समस्त व्यक्तियों को जो कि उसे नामांतरण में हितबद्ध पक्षकार है । इस प्रकरण में सह–खातेदारों को न तो सूचनापत्र दिये गये और न ही विधिवत इश्तहार का प्रकाशान ही किया गया। नामांतरण नियमों के नियम 27 में भी संबंधित ग्राम

में डोंडी पिटवाकर इश्तहार का प्रकाशन कराने तथा उन सभी हितबद्ध व्यक्तियों को लिखित सूचना दिये जाने का प्रावधान है, जिसका पालन ग्राम पंचायत द्वारा नामांतरण आदेश पारित करने के पूर्व नहीं किये जाने से अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नामांतरण का आदेश निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया गया है जिसे न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा स्थिर रखा गया है ।

4/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में पुर्नविलोकन का आवेदन अग्राह्य किया जाता है ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य